



66

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

AFR-2918-I-16

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण

/ 2016 (जिला-सिवनी)

सोनवती बाई पिता साबू लाल गौड़
निवारी ग्राम मउ तहसील बरघाट,
जिला सिवनी

आवेदक

मोप्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी मोप्र०

— २ — अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मो प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय
कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 76/अ-21/15-16 में पारित
आदेश दिनांक 26-8-2016 से व्यथित होकर ।

३०.८.१६
नन्नीय महोदय,
(३१) अटा

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

- 1— यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपारत्त किए जाने योग्य है।

2— यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदिका के नाम से ग्राम महराखापा ह.नं. 90 रा.नि.म. भोमा तहसील व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 373/4 रकबा 2.00 हैक्टर स्थित है। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि निवास स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित होने से कृषि कार्य में असुविधा होने तथा पारिवारिक व्यवस्था हेतु धनराशि की आवश्यकता होने से उक्त भूमि के विकाय की अनुमति दी जाये। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपारत्त किये जाने योग्य है।

3— यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीयन कर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया; अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार, सिवनी को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांच अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है और उक्त भूमि को विकाय करने के बाद आवेदक के पास ग्राम लाटगांव 26/2, 26/9

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, भवालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2918-एक/16

जिला - सिवनी

उथान तथा दिनांक	मार्यादा तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 26-8-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम महराखापा प0ह0नं0 90 रा.नि.मं. भोमा तहसील व जिला सिवनी खसरा नं. 373/4 रुक्बा 2.00 को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत् जांच कर तथा आवेदिका के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के गांध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर कि आवेदित भूमि विक्रय करने के उपरांत कोई भूमि आवेदकों के पास शेष नहीं बचेगी तथा जो भूमि शेष बचेगी वह 40 किलोमीटर दूर स्थित है आवेदकों द्वारा बताए गए कारणों को संतोषप्रद न मानते हुए अनुमति की अनुशंसा न करते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया। कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश के</p>	

मिति - २१८.५/१६

सोनबती बाई विरुद्ध म०प्र० लालता

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पश्चात
अभिभाषकों
हक्काशा

संबंध में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रणालीन भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है। आवेदित भूमि निवास स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है जिससे कृषि कार्य में असुविधा होती है, इसके अतिरिक्त आवेदक को पारिवारिक व्यवस्था एवं शादी विवाह कार्य हेतु धनराशि की आवश्यकता है। आवेदित भूमि के उपरांत आवेदिका के पास ग्राम लाटगांव तहसील बरघाट जिला सिवनी में खसरा नं. 26/2, 26/9 रकमा 1.97 एवं 0.42 हेक्टर भूमि शेष बचती है जो उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। अनुविभागीय अधिकारी एवं जिलाध्यक्ष ने तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण के तथ्यों पर व्यायिक रूप से विचार नहीं किया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय लौ अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आदेश को आवेदिका के हित में बताते हुए कहा गया कि चूंकि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं। अतः आवेदक की निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाये।

4/ आवेदिका एवं अनावेदक म०प्र० शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की होकर पैत्रिक भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। आवेदिका आदिग जनजाति की सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदिका को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि

४८

४८

XXXIX

प्रकरण
स्थान तथा
दिनांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, उवालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2918-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि आवेदिका के निवास स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है तथा 3 वर्षों से पड़त है जिसका कारण आवेदिका का ग्राम में निवास न करना है। प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण वास्तविक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदिका के पास ग्राम लाटगांव तह0 बरघाट जिला सिवनी में खसरा नं. 26/2, 26/9 एकबा 1.97 एवं 0.42 हेक्टर भूमि शेष बच रही है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदकों को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है। कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-08-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी इसी स्तर स्वीकार करते हुए आवेदिका को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम महराखापा प0ह0नं0 90 रा0नि0मं0 भोमा तहसील व जिला सिवनी खसरा नं. 373/4 एकबा 2.00 हेक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p>	

- 5 -

सोनबती बाई विरुद्ध मोप्र० २५८२


R- 29/8. ४/१६

कर्यवाही तथा आदेश

दस्तावेज़ तथा
दिनांक

पश्चारी ए
अधिभाषकों
के हस्ताक्षर

- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।
- 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।


(एमपीको० सिंह)

सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

